

न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 21/2017 फोरलेन

उनवान

भारत सरकार जरिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 राजसमन्द-भीलवाड़ा सेक्शन) कार्यालय 6-ए-1 आर0सी0व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा

बनाम

1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
2. श्रीमती सरला देवी पत्नि कन्हैयालाल सुराणा नि0 सहाड़ा
3. श्री राजकुमार पिता अमृतलाल सोनी नि0 राशमी जिला चितौड़गढ़
4. श्री श्यामलाल पिता मांगीलाल पारीक नि0 लाखोला त0 गंगापुर
5. श्री भूपेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी फतेहनगर जिला उदयपुर.
6. श्री भैरुगिरी पिता शिवगिरी नि0 पोटला
7. श्रीमती ऋतिदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र आगाल नि0 पोटला त0 सहाड़ा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 विरुद्ध अवार्ड संख्या एन. एच. 758 भूमि अवाप्ति / 4 / 2016 / प्रतिनिधायन / 76-77 (राजसमन्द-भीलवाड़ा सेक्शन) दिनांक 28.03.2016

उपस्थित:— श्री दिनेश चन्द्र बापना , अधि0 प्रार्थी
श्री राकेश सुराणा, अप्रार्थी संख्या 2.3.5
श्री एम0एल0बापना अप्रार्थी सं0 4
श्री राजेश चौधरी अप्रार्थी सं0 6

आदेश

दिनांक 26/07/2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3 जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के प्रकरण संख्या 4लेन/2016/प्रतिकर निर्धा0/76-77 निर्णय दिनांक 28.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758(राजसमन्द से भीलवाड़ा सेक्शन) को चौड़ा करने/चार लेन सड़क निर्माण हेतु भारत का राजपत्र का.आ.1813(अ) दिनांक 14.08.2012 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को तहसील सहाड़ा की भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) के लिए नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 503(अ) दिनांक 20.02.2014 द्वारा सहाड़ा तहसील के अन्तर्गत ग्राम सहाड़ा की उक्त परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित की गयी। इसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों का विवरण , भूमि की किस्म, रकबा आदि का विवरण भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 261(अ) दिनांक 28.01.2015 को प्रकाशित होकर अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 28.03.2014 को दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति में प्रकाशन करवाया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम सहाड़ा की आ0नं0 7495/5571 रकबा 0.0870 हैक्टर व आ0नं0 7595/5571 रकबा 0.1930 हैक्टर किस्म गेमु0 सड़क एवं आ0नं0 7477/5573 रकबा0.0940 हैक्टर किस्म बीड़ अवाप्त

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की गई। उपरोक्त आराजीयात में से आ0नं0 7477/5573 रकबा0.0940 हैक्टर किस्म बीड में से मात्र 0.0216 हैक्टर भूमि ही अवाप्त की गई परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा सम्पूर्ण रकबे का अवार्ड पारित कर दिया। इसी प्रकार आ0नं0 7495/5571 रकबा 0.0870 हैक्टर व आ0नं0 7595/5571 रकबा 0.1930 हैक्टर किस्म गेमु0 सड़क अवाप्त की गई परन्तु रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 से लगायत 7 के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड रह जाने से उक्त आराजीयात में से आ0नं0 7477/5573 एवं 7495/5571 का मुआवजा 30 फीट चौड़ाई को वाणिज्यिक मानते हुए वाणिज्यिक दर 49496 रुपये प्रतिवर्गमीटर से तथा 30 फीट की चौड़ाई के पश्चात वार्ड संख्या 6 व 7 की आबादी भूमि मानकर आ0नं0 7595/5571 का मुआवजा आवासीय दर 3335.60 रुपये प्रतिवर्गमीटर से जारी कर दिया जो विधि विरुद्ध है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म गेमु0 सड़क एवं बीड है। कृषि भूमि का सक्षम प्राधिकारी से अकृषि प्रयोजन हेतु बिना संपरिवर्तन कराये किस्म परिवर्तन नहीं की जा सकती है एवं उसका उपयोग भी आवासीय या वाणिज्यिक नहीं माना जा सकता है परन्तु सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के द्वारा वाणिज्यिक एवं आवासीय मानते हुए अवार्ड जारी किया जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण के द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.02.2014 के प्रकाशन के पश्चात अधिनियम की धारा 3 सी के अनुसार 21 दिन के भीतर-भीतर भी हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से कोई आपत्ति भूमि की किस्म के सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किया। स्टेट हाईवे एवं नेशनल हाईवे की सड़क के केन्द्र बिन्दु से 40 मीटर के भीतर आने वाली भूमि का रूपान्तरण कानूनन संभव नहीं है ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि परिवादपत्र परिवादी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से लगायत 07 के पक्ष में पारित अवार्ड संख्या 76-77 दिनांक 28.03.2016 निरस्त फरमाते हुए अधिनियम की धारा 3 ए व 3 डी में अंकित भूमि की किस्म अनुसार विधि सम्मत अवार्ड पारित करने हेतु प्रकरण पुनः विपक्षी संख्या 1 को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर से क्षतिपूर्ति राशि हेतु पारित अवार्ड संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 07 के विरुद्ध दिनांक 20.11.2017 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 2 व 3 से लगायत 6 की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में निवेदन किया कि प्रकाशन होना एवं सक्षम अधिकारी द्वारा डी.एल.सी. दर के आधार पर मुआवजा निर्धारित करने का तथ्य स्वीकार है इसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं की है। विपक्षी की ग्राम सहाड़ा चौराहा पर स्थित आ0नं0 7477/5573 में से 0.0216 है0, आ0नं0 7495/5571 में से 0.0870 है0 व आ0नं0 7495/5571 में से 0.1830 है भूमि अवाप्त की गई। जहां तक 30 फीट चौड़ाई को 4600 रुपये प्रतिवर्ग फीट के आधार पर वाणिज्यिक एवं उसके बाद वार्ड नम्बर 06-07 आबादी भूमि की दर 310 रुपये प्रतिवर्ग फीट की दरें जिला स्तरीय प्रचलित लागू डीएलसी दरों में स्पष्ट प्रमाणित है। सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का जो मुआवजा वाणिज्यिक एवं आवासीय दर से स्वीकृत कर अवार्ड जारी किया गया है वह नियमानुसार है। प्रकाशित अधिसूचनाओं के अनुसार यदि अधिसूचना रकबा अथवा उसके स्वामित्व सम्बन्धी कोई विपरीत परिस्थितियां पाई जाती तो वस्तुतः आपत्ति पेश करने का औचित्य रहता परन्तु अधिसूचना के बाद नियमों के तहत कार्यवाही हो जाने से आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रहा। विपक्षी ने विशेष कथन में निवेदन

जिला मजिस्ट्रेट
भोलवाड़ा

किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 28.02.2017 काफी विलम्ब से पेश हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में प्रावधान है कि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के बाद वादी को परिवाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसलिए परिवादी का परिवाद मियाद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है। अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे का निर्धारण बाजार दर व आस-पास की भूमियों के विक्रय पत्रों के आधार पर साथ ही भूमि के आस-पास हो रही उपयोग की भूमि को ध्यान में रखकर भूमि के मुआवजा निर्धारण करने का प्रावधान है। यहां पर भूमि की कीमत बाजार दर डी0एल0सी0दर से तीन गुणा अधिक है। जबकि सक्षम प्राधिकारी जी ने डी0एल0सी0दर से ही मुआवजे का निर्धारण किया है इसलिए अवार्ड में संशोधन कर बाजार दर से अवार्ड जारी किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः परिवादी का परिवाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावे।

सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के पत्रांक 208 दिनांक 21.04.2017 से सम्बन्धित मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 2 से लगायत 07 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 01 सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर के द्वारा ग्राम सहाड़ा की आ0नं0 7477/5573 एवं 7495/5571 का मुआवजा 30 फीट चौड़ाई को वाणिज्यिक मानते हुए वाणिज्यिक दर 49496 रुपये प्रतिवर्गमीटर से तथा 30 फीट की चौड़ाई के पश्चात वार्ड संख्या 6 व 7 की आबादी भूमि मानकर आ0नं0 7595/5571 का मुआवजा आवासीय दर 3335.60 रुपये प्रतिवर्गमीटर से गणना करते हुए संरचनाओं सहित कुल 12,28,04,833 रुपये निर्धारित किया। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अवाप्ताधीन भूमि की किस्म धारा 3-ए व 3-डी की अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि को अवाप्ताधीन आराजी नम्बर आ0नं0 7477/5573 की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में बीड़ अंकित थी तथा आ0नं0 7595/5571 रकबा 0.0870 है0 व रकबा 0.1930 है0 की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गोमु0 सड़क दर्ज होते हुए भी उक्त भूमि का प्रतिकर आवासीय/वाणिज्यिक दर से निर्धारित करने में भारी भूल की गई। भूमि की किस्म बीड़ एवं गोमु0 सड़क दर्ज होते हुए भी उक्त भूमि का सक्षम अधिकारी ने अकृषि में आवासीय/वाणिज्यिक संपरिवर्तन आदेश के बिना ही उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय/व्यावसायिक मानते हुए गणना करते हुए अवार्ड पारित किया जो नियम विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के एस.बी.सिविल विविध अपील संख्या 2044/2016 का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमें भी भूमि की किस्म एवं मौके पर हो रहे उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर का निर्धारण डीएलसी दर के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार किया जाने का उल्लेख है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य के अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस में बताया कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर मुआवजे का निर्धारण कर अवार्ड जारी किया गया जो उचित है। प्रार्थी द्वारा याचिका मियाद बाहर पेश की गई है इसलिए खारिज की जाने योग्य है। भूमि अवाप्ति का आदेश होने के बाद प्रार्थी को कब्जा लेने से पूर्व मुआवजे की राशि केन्द्र सरकार की ओर से सक्षम अधिकारी के यहां जमा कराकर उसके बाद कब्जा लेने का अधिकार है परन्तु प्रार्थी द्वारा बिना राशि जमा कराए ही कब्जा प्राप्त कर लिया इसलिए प्रार्थी को अब याचिका पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एच(1) में यह प्रावधान किया गया है कि The Amount determined under section 3G shall be

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

deposited by the Central Government in such manner as may be laid down by rules made in this behalf by the Government, with the competent authority before taking possession of the land. इस प्रकार प्रार्थी को बिना राशि जमा कराये कब्जा लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के द्वारा कब्जा प्राप्त कर सड़क निर्माण करवा दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि राज्य सरकार कृषि भूमि के विक्रयपत्रों के पंजीयन पर वाणिज्यिक एवं आवासीय दर से राशि वसूल कर रही है। पूर्व में राज्यमार्ग सड़क बनी तब प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में से भूमि अवाप्त कर सड़क बनाई गई अवाप्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ परन्तु विपक्षीगण को भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया इसलिए विपक्षीगण की अवाप्त आराजी जिस पर सड़क बनाई उस आराजी को पुनः विपक्षीगण के खाते में दर्ज कर दी। यदि उस समय विपक्षीगण को मुआवजा भुगतान कर दिया जाता तो आराजी विपक्षीगण के नाम दर्ज नहीं होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क के नाम दर्ज हो जाती। फोरलेन सड़क निर्माण हेतु विपक्षीगण की आराजी अवाप्ति का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सक्षम अधिकारी जी द्वारा नियमानुसार अवार्ड पारित किया गया है। इसलिए सक्षम अधिकारीजी द्वारा पारित अवार्ड की अनुशंषा कराई जाकर विपक्षीगण को मय ब्याज मुआवजे की राशि दिये जाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थी याचिका मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के बिन्दुओं तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने पर निम्न तथ्य सुस्पष्ट होते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 राजसमन्द-भीलवाड़ा सेक्शन निर्माण के लिए अवाप्ताधीन भूमियों के सम्बन्ध में धारा 3ए (1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20.02.2014 को दो स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशन करवाया गया। धारा 3 डी(1) की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 28.01.2015 को प्रकाशित करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 07 की खातेदारी की ग्राम सहाड़ा की आराजी आ0नं0 7477/5573 रकबा 0.17 हैक्टर श्रीमती ऋतिदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र आगाल(महाजन) नि0 पोटला के नाम पर दर्ज है जिसकी राजस्व रिकॉर्ड में किस्म बीड़ अंकित है फिर भी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के द्वारा उक्त आराजी में से अवाप्ताधीन रकबा 0.0216 हैक्टर का मुआवजा वाणिज्यिक दर 49496 रुपये प्रतिवर्गमीटर से निर्धारित किया जबकि अप्रार्थी संख्या 07 के द्वारा अवाप्ताधीन भूमि के वाणिज्यिक संपरिवर्तित होने सम्बन्धी कोई सक्षम न्यायालय का आदेश अधीनस्थ न्यायालय में एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसी प्रकार आराजी नम्बर 7495/5571 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि श्रीमती सरलादेवी, भैरुगिरी, राजकुमार सोनी, श्यामलाल व भूपेन्द्र कुमार अग्रवाल के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गेमु0 सड़क दर्ज है। उक्त आराजी का सम्पूर्ण रकबा फोरलेन निर्माण हेतु अवाप्त की गई। मौके पर अवाप्ताधीन आराजी पर विपक्षीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है जैसाकि स्वयं अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में इस तथ्य को स्वीकार किया कि पूर्व में राज्यमार्ग सड़क बनी तब अप्रार्थीगण की भूमि अवाप्त कर सड़क बनाई गई और वर्तमान में जब नेशनल हाईवे संख्या 758 के लिए भूमि अवाप्त की गई तो इनके द्वारा खाते में दर्ज होने मात्र से मुआवजा हेतु दावा किया जा रहा है जो किसी भी तरह उचित नहीं है। उक्त सड़क सार्वजनिक उपयोग में होकर अप्रार्थीगण का कब्जा पिछले 12 वर्ष से भी अधिक समय से नहीं है। केवल मात्र रिकॉर्ड में दर्ज

जिला क्लर्क
भाजमडा

रह जाने मात्र से अप्रार्थीगण उक्त अवाप्ताधीन आ0नं0 7495/5571 रकबा 0.28 हैक्टर किस्म गेमु0 सड़क का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं माने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के द्वारा तो उक्त गेमु0 सड़क की भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक एवं आवासीय मानते हुए प्रतिकर की गणना की गई जो कतई विधि सम्मत नहीं है। वकील प्रार्थी के द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर द्वारा प्रकरण एस0बी0सिविल मिस0 अपील संख्या 2044/2016 परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण झुंझुनू बाई पास सीकर राज0 बनाम सांवरमल सिंघानिया मेमोरियल ट्रस्ट डी-1 शास्त्रीनगर, जयपुर निर्णय दिनांक 30.06.2016 में निम्न अभिकथन किया है कि "प्रतिकर राशि निर्धारण करने के लिए अवाप्ताधीन भूमि की प्रकृति व किस्म एक सुसंगत एवं महत्वपूर्ण तथ्य है तथा ऐसी सूरत में विद्वान मध्यस्थ महोदय का यह मत अनुचित है कि 1956 के अधिनियम की धारा 3-जी(7)(ए) के अधीन बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए अवाप्ताधीन भूमि की प्रकृति व किस्म असंगत है।उक्त प्रतिपादित मापदण्डों के अनुसार डीएलसी दर को बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए कानूनन आधार नहीं बनाया जा सकता जबकि वर्तमान प्रकरण में बाजार मूल्य एवं प्रतिकर राशि का निर्धारण डीएलसी दरन के आधार पर किया गया है।हमारा निश्चित मत है कि वर्तमान प्रकरण में प्रतिकर राशि का निर्धारण 1956 के अधिनियम की धारा 3-ए के अधीन अधिसूचना प्रकाशन तिथि को संस्थानिक उपयोग हेतु भूमि के लिए प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार किया जाना चाहिए था। यद्यपि प्रतिकर राशि या बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए ऐसी भूमि के लिए निर्धारित डीएलसी को भी एक मार्गदर्शक कारक के रूप में ध्यान में रखा जा सकता है किन्तु केवल डीएलसी दर को आधार बनाकर बाजार मूल्य व प्रतिकर राशि का निर्धारण कदापि नहीं किया जा सकता है।" हमारी दृष्टि में उक्त निर्णय इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होता है। अर्थात् अवाप्त की जाने वाली भूमि की मौका स्थिति, किस्म तथा इसके आस-पास की इसी किस्म की अन्य भूमियों की प्रचलित बाजार दर को ध्यान में रखते हुए निर्धारण किया जाना चाहिए इसके लिए मात्र डीएलसी आधार नहीं मानी जा सकती है।

अतः उक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा पारित आदेश एवं अवार्ड संख्या 76-77 दिनांक 28.03.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी , गंगापुर को इस आदेश व निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 07 श्रीमती ऋतिदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र आगाल (महाजन) निवासी पोटला तहसील सहाड़ा के नाम दर्ज एवं आधिपत्य की ग्राम सहाड़ा की आ0नं0 7477/5573 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म बीड़ में से 0.0216 है0 किस्म बीड़ में से 0.0320 हैक्टर के सम्बन्ध में पूर्ण जांच कर बाजार मूल्य एवं प्रतिकर राशि का निर्धारण हितबद्ध व्यक्तियों को सुनकर सुसंगत विधिक एवं मौका स्थिति तथा भूमि की किस्म को आधार बनाकर किया जावे। सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वे अवाप्ताधीन भूमि के निकट क्षेत्र में स्थित भूमि के लिए निष्पादित विक्रय पत्र, भूमि की स्थिति एवं किस्म तथा प्रचलित सुसंगत विधिक सिद्धान्तों को आधार बनाकर अप्रार्थी की अवाप्ताधीन भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण करें।

जिला कलेक्टर
नीलम

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश भूमि अवाप्ति/प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी) गंगापुर् बमामले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमन्द-भीलवाडा सेक्शन) प्रकरणसंख्या/ 4लेन/2016/प्रतिकर निर्धारण/76-77 निर्णय दिनांक 28.03.2016को निरस्त करते हुए प्रतिकर राशि पुनःनिर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी गंगापुर् को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 26/07/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर(आर्बीट्रेटर)
भीलवाडा